फ्रिक इंडिया लिमिटेड और अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

निर्णय 13 मई, 1994

पीठ :

[एम. एन. वेंकटचलिया, मुख्य न्यायाधीश, ए. एम. अहमदी, जे. एस. वर्मा, जी. एन. राय और एस. पी. भरुचा, (जे. जे.)]

1. हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973/केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956– धारा 6, 25(5)–अधिसूचना दिनांक 12.2.1986– क्रय कर– अतिरिक्त राशि पर देय ब्याज का शुल्क लगाना –निर्धारिती से एकत्र की गई ब्याज की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस की जाएगी।

2. **याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत क्रय कर पर ब्याज, शुल्क को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं ।**

3. **न्यायालय द्वारा जे. के. सिंथेटिक्स में निर्णय को देखते हुए रिट याचिका को अनुमति देना।**

4. **अभिनिर्धारण– एकत्र किए गए ब्याज की राशि हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के साथ–साथ केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के तहत याचिकाकर्ताओं को वास्तविक वसूली की तारीख से धनवापसी तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ धनवापसी की जाएगी। [135 – बी–सी]**

5. जे. के सिंथेटिक्स लिमिटेड v. वाणिज्यिक कर अधिकारी, [1994] 4 एससी 277, लागू किया जायेगा। दीवानी मूल न्यायनिर्णयः रिट याचिका (सी) सं. 1235/ 1986. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ।

6. हरीश एन. साल्वे अशोक सेन, रविदर नारायण, सुश्री अमृता मित्रा, डी. एन. मिश्रा, जे. बी. डी. एंड कंपनी की ओर से सुश्री मीनाक्षी ग्रोवर, सुश्री पूनम मदान, खेतान एंड कंपनी के लिए कृष्ण कुमार, भास्कर राज प्रधान, ए. पी. धमीजा, एस. अत्रेया, एन. डी. बी. राजू, एस. के. जैन, सुश्री निशा बागची, सुश्री आयशा खत्री, सुश्री इंदु मल्होत्रा, सुश्री कुसुम चौधरी और अरुणेश्वर गुप्ता उपस्थित होने वाले पक्षकरो कि ओर से।

माननीय न्यायमूर्ति श्री अहमदी द्वारा न्यायलय का निर्णय दिया गया ।

- जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम. वाणिज्यिक कर अधिकारी (सिविल अपील नं. 3414–16 / 82 , 9 मई, 1994) में संविधानपीठ द्वारा दिए गए निर्णय को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि चूंकि हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम के सुसंगत प्रावधान राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के समान हैं, इसलिए यह याचिका भी सफल होनी चाहिए। इसलिए हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम के साथ–साथ केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत याचिकाकर्ताओं से ली गई और एकत्र की गई ब्याज की राशि आज से तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को वास्तविक वसूली की तारीख से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी । हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। सी.एम.पी.का भी निस्तारण कर दिया जाएगा।

याचिका स्वीकृत।